

आदेश
वाही
नं०

मांक एवं आदेश
की तिथि

१

अपर समाहर्ता न्यायालय -सह-साहेबगंज
R.M.A वाद सं०-13/2018-19

२

आदेश पर की गई
कार्यवाही के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

३

14/12/22

अपीलार्थी:- बिलाल अंसारी, पिता-वसीर अंसारी,
सा०-बड़ा मदनशाही, थाना-बोरियो, जिला-साहेबगंज
बनाम्

उत्तरवादी:- सब्बीर अंसारी वगै०, पिता-वसीर अंसारी,
सा०-बड़ा मदनशाही, थाना-बोरियो, जिला-साहेबगंज

15.10.2022

अभिलेख उपस्थापित

प्रस्तुत वाद बिलाल अंसारी, पिता-वसीर अंसारी,
सा०-बड़ा मदनशाही, थाना-बोरियो (जिरवाबाड़ी), जिला-साहेबगंज,
मौजा-बड़ा मदनशाही, ज०नं०-15, दाग सं०-236, रकवा-00-04-17 धूर
से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के R.E Cae No06/16-17
अंतिम फैसला दिनांक-17.07.2016 के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के
न्यायालय में 29.10.2016 में अपील दायर करने के संबंध से है।

उक्त वाद को प्रमारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा,
साहेबगंज के पत्रांक-529/वि० दिनांक-21.08.2018 के द्वारा मूल अभिलेख
अपर उपायुक्त न्यायालय में निष्पादन हेतु स्थानान्तरण किया गया है।

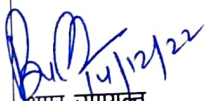
अभिलेख को पंजीकृत करते हुए उभय पक्षों को नोटिस
निर्गत किया गया। नोटिस के तामिला प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों
के द्वारा न्यायालय में उपस्थिति दर्ज किया गया।

अपीलार्थी द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से
दिनांक-14.11.2022 को R.M.A वादा सं०-13/18-19 बिलाल अंसारी
बनाम् सब्बीर अंसारी वगै० संबंधित वाद को समाप्त करने का अनुरोध
किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना/आवेदन को स्वीकृत
किया जाता है, तथा अपीलार्थी के द्वारा किये गये अनुरोध/प्रार्थना के
आधार पर वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

आदेश निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।


अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।